

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 49
गृह मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3585.40	275.28	3860.68	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00
वसूलियां	-4.96	...	-4.96
प्राप्तियां
निवल	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	495.09	14.89	509.98	652.28	63.62	715.90	580.29	43.62	623.91	666.66	34.32	700.98
2. राजभाषा	60.27	...	60.27	84.94	...	84.94	80.10	...	80.10	88.09	...	88.09
3. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)	952.27	77.40	1029.67	1138.09	71.32	1209.41	1219.28	94.03	1313.31	1262.56	73.02	1335.58
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1507.63	92.29	1599.92	1875.31	134.94	2010.25	1879.67	137.65	2017.32	2017.31	107.34	2124.65
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
4. प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास	303.76	...	303.76	241.20	...	241.20	399.19	...	399.19	299.76	...	299.76
5. स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ	660.59	...	660.59	775.31	...	775.31	728.41	...	728.41	688.14	...	688.14
6. हेलिकाप्टर सेवाएं												
6.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र	72.50	...	72.50	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
6.02 लद्दाख	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
6.03 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश	0.27	...	0.27	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00
जोड़- हेलिकाप्टर सेवाएं	72.77	...	72.77	116.00	...	116.00	116.00	...	116.00	116.00	...	116.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
आपदा प्रबंधन												
7. आपदा प्रबंधन अवसंरचना	...	105.55	105.55	...	72.05	72.05	...	128.00	128.00	...	86.04	86.04
8. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना	75.80	...	75.80	296.27	...	296.27	185.12	...	185.12	300.00	...	300.00
9. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	113.30	...	113.30	113.29	...	113.29	238.69	...	238.69	106.74	...	106.74
जोड़-आपदा प्रबंधन	189.10	105.55	294.65	409.56	72.05	481.61	423.81	128.00	551.81	406.74	86.04	492.78
10. नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना	19.45	...	19.45	27.00	...	27.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	1245.67	105.55	1351.22	1569.07	72.05	1641.12	1691.41	128.00	1819.41	1535.64	86.04	1621.68
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	47.36	...	47.36	62.33	...	62.33	62.33	...	62.33	75.61	...	75.61
अन्य												
12. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार	634.70	77.44	712.14	3688.28	80.00	3768.28	464.80	55.00	519.80	3633.00	43.00	3676.00
13. अन्य केंद्रीय विविध व्यय	37.06	...	37.06	90.39	...	90.39	88.24	...	88.24	94.04	...	94.04
14. वास्तविक वसूलियां	-2.31	...	-2.31
जोड़-अन्य	669.45	77.44	746.89	3778.67	80.00	3858.67	553.04	55.00	608.04	3727.04	43.00	3770.04
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	716.81	77.44	794.25	3841.00	80.00	3921.00	615.37	55.00	670.37	3802.65	43.00	3845.65
राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
15. होम गार्ड	82.00	...	82.00	0.02	...	0.02	3.51	...	3.51	0.02	...	0.02
16. नागरिक रक्षा	8.33	...	8.33	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
17. केंद्रीय अधिनियमों के अभिशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	20.00	...	20.00
18. उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद को अनुदान	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	110.33	...	110.33	48.03	...	48.03	51.51	...	51.51	29.02	...	29.02
कुल जोड़	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	431.05	...	431.05	560.91	...	560.91	498.87	...	498.87	564.65	...	564.65
3. जेल	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25	1.51	...	1.51
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	175.62	...	175.62	236.84	...	236.84	258.41	...	258.41	256.06	...	256.06
5. विविध सामान्य सेवाएं	0.02	...	0.02	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.04	...	0.04
6. लोक निर्माण कार्यों के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	...	14.20	14.20	...	39.00	39.00	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00
7. अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	...	67.04	67.04	...	72.42	72.42	...	62.42	62.42	...	48.02	48.02
जोड़-सामान्य सेवाएं	607.69	81.24	688.93	799.84	111.42	911.26	759.62	82.42	842.04	823.26	58.02	881.28
सामाजिक सेवाएं												
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	764.13	...	764.13	827.45	...	827.45	825.55	...	825.55	726.29	...	726.29
9. प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1095.88	...	1095.88	1364.92	...	1364.92	1538.03	...	1538.03	1511.93	...	1511.93
10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0.19	...	0.19	0.30	...	0.30	0.12	...	0.12
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	183.04	183.04	...	145.57	145.57	...	223.23	223.23	...	160.36	160.36
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1860.01	183.04	2043.05	2192.56	145.57	2338.13	2363.88	223.23	2587.11	2238.34	160.36	2398.70
आर्थिक सेवाएं												
12. नागर विमानन	72.50	...	72.50	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00
13. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	634.70	...	634.70	3488.28	...	3488.28	464.79	...	464.79	3433.00	...	3433.00
14. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.00	11.00	...	30.00	30.00	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	707.20	11.00	718.20	3593.28	30.00	3623.28	569.79	15.00	584.79	3538.00	18.00	3556.00
अन्य												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01	200.00	...	200.00
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	404.54	...	404.54	537.09	...	537.09	534.56	...	534.56	574.66	...	574.66
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.00	...	1.00	10.64	...	10.64	10.10	...	10.10	10.36	...	10.36

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	405.54	...	405.54	747.73	...	747.73	544.67	...	544.67	785.02	...	785.02
कुल जोड़	3580.44	275.28	3855.72	7333.41	286.99	7620.40	4237.96	320.65	4558.61	7384.62	236.38	7621.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, भुगतान एवं लेखा सचिवालय, राष्ट्रीय सिविल सुरक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभागों के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राजभाषा:** इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

3. **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ):** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रशासनिक व्ययों तथा स्थापना लागत को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

4. **प्रवासियों और प्रत्यायवासियों को राहत और पुनर्वास:** यह प्रावधान (i) श्रीलंका से आए तथा शिविरों में रह रहे शरणार्थियों के पुनर्वास (ii) तिब्बत तथा भूतपूर्व पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर व्यय (iii) त्रिपुरा, असम एवं मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता (iv) 1984 के दंगा पीड़ितों को बड़े हुए मुआवजे (v) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा करार के लिए है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं अन्य लाभ:** इसमें (i) अंडमान में भूतपूर्व राजनैतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना (ii) गोवा मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और (iii) भूतपूर्व निजाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का भारत संघ में विलय करने के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों की पेंशन शामिल है।

6.01. **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** इसमें पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने हेतु सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान शामिल है।

6.02. **लद्दाख:** लद्दाख में हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन हेतु सब्सिडी के भुगतान के लिए प्रावधान

6.03. **जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश:** यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रियायती हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए है।

7. **आपदा प्रबंधन के लिए अवसंरचना:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन के निर्माण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण तथा आपदा की स्थिति में द्रुत कार्रवाई के लिए विशेषीकृत क्षमता निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए है।

8. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना:** यह प्रावधान चक्रवात संकट से संभावित तटीय राज्यों में खतरे को कम करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रथमन परियोजना पर प्रशासनिक व्यय तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के लिए है।

9. **अन्य आपदा प्रबंधन योजनाएं:** (i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा), (ii) आपदा संबंधी सूचना, शिक्षण और संवाद (आईईसी) और प्रशिक्षण हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु, (iii) यूएसएआईडी आपदा प्रबंधन (iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली, (v) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाएं और (vi) विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सहित आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान पर व्यय हेतु प्रावधान।

10. **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम और मीडिया योजना:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एवं कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम, जम्मू एवं कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मीडिया प्लान/विज्ञापन एवं प्रचार के लिए प्रावधान शामिल है।

11. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी):** इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए प्रावधान शामिल है।

12. **जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत का महारजिस्ट्रार:** इसमें भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार (एनपीआर) सहित आरजीआई की विभिन्न योजनाओं और जनगणना 2021 पर व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

13. **अन्य केंद्रीय विविध व्यय:** इसमें गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य, पुलिस मेडल, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पूर्वोत्तर के लिए विधि विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिकरण, राष्ट्रीय एकता तथा आंतरिक सुरक्षा और जेलों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलों एवं ऑडियो/विजुअल फिल्मों के माध्यम से सुधार संबंधी मामलों पर जागरूक करने के लिए प्रावधान शामिल है, आपदा प्रतिरोधक संरचना सोसायटी (सीडीआरआईएस) के लिए गठबंधन।

14. **वास्तविक वसूतियां:** वास्तविक वसूतियां अनुदान के अंतर्गत हैं।

15. **होम गार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार एक व्यापक पैटर्न और नीति के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सीमाओं की चौकसी तथा चुनाव संबंधी कार्य के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल की सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक स्वयंसेवी बल है। यह प्रावधान होम गार्ड को गठित करने, प्रशिक्षित करने तथा सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

16. **नागरिक रक्षा:** यह प्रावधान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन्हें सुसज्जित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

17. **केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान:** असम में विदेशी ट्रिब्यूनल के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है।

18. **उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद को अनुदान:** यह प्रावधान बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कार्बी आंगलॉन्ग और उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए बुनियादी प्रशासनिक ढांचे के विकास के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए स्वायत्त परिषद के लिए अनुदान के लिए है।